

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला-रायपुर (छ.ग)

क्रमांक / / न.पा.नि / लो.नि.वि. / 2018-19


बीरगांव, दिनांक / / 2018

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम बीरगांव द्वारा लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली से पंजीकृत, सक्षम श्रेणी के पंजीकृत टेकेंदारों/फर्मों से निम्नांकित निर्माण कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित भवन एस.ओ.आर. प्रभावशील दिनांक 01.01.2015 एवं प्रचलित रोड एस.ओ.आर. प्रभावशील दिनांक 01.01.2015 से प्रतिशत दर पर पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से तीन लिफाफा पद्धति में सीलबंद निविदाएं अधोहस्तक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित हैं :-

01. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि	दिनांक 28.08.2018	अपरान्ह 5.00 बजे तक
02. निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि	दिनांक 29.08.2018	सायं, 5.00 बजे तक
03. निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि	दिनांक 04.09.2018	अपरान्ह 5.00 बजे तक
04. प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि	दिनांक 10.09.2018	सायं, 4.00 बजे

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये में)	कार्य की अवधि
		(लाखों में)	(रुपये में)		
1	2	3	4	5	6
01	पार्षद निधि अन्तर्गत (वर्ष 2018-19) वार्ड क्र. 03 चबुतरा निर्माण एवं ग्रील लगाने का कार्य	3.00	3000/-	750/-	60 Days
02	पार्षद निधि अन्तर्गत (वर्ष 2018-19) वार्ड क्र. 04 में अशोक पार्षद के घर से नौरंग तक एवं लखन जोशी से बीरबल बंजारे के घर तक सी.सी. रोड निर्माण/मरम्मत कार्य	4.00	4000/-	750/-	60 Days
03	पार्षद निधि अन्तर्गत (वर्ष 2018-19) वार्ड क्र. 20 केशवराज सेन पार्षद के घर के सामने, लाला पाण्डे के घर से संतोष सेन के घर तक, दुम्न लाल साहू के घर से लाल साहू के घर तक, तेजराम टेलर के घर से केशव सेन के घर तक में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	4.00	4000/-	750/-	60 Days
04	पार्षद निधि अन्तर्गत (वर्ष 2018-19) वार्ड क्र. 27 योगेश साहू घर से गौरा चौरा तक नाली निर्माण एवं गौरा चौरा से विनोद सेन के घर तक, छेदी घर से राजू घर तक एवं सुनिता सागर घर से संतोष साहू के घर तक तथा संतोष साहू के घर से सुखदेव के घर तक	4.00	4000/-	750/-	60 Days
05	पार्षद निधि अन्तर्गत (वर्ष 2018-19) वार्ड क्र. 32 खेमलाल साहू के घर से सुभाष किराना तक	4.00	4000/-	750/-	60 Days
06	पार्षद निधि अन्तर्गत (वर्ष 2018-19) वार्ड क्र. 34 में सरदार के घर से मदरसा तक सी.सी. रोड मरम्मत कार्य	4.00	4000/-	750/-	60 Days


 आयुक्त
 नगर पालिक निगम, बीरगांव
 जिला - रायपुर (छ.ग.)

निविदा की शर्तें


01. प्रत्येक निविदा हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य है।
02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
03. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम बीरगांव के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम बीरगांव हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
04. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु - (1) एकीकृत पंजीयन से पंजीकृत ठेकेदार का सक्षम श्रेणी में जीवित पंजीयन (2) पिछले 02 वित्तीय वर्ष का आयकर चुक्ता प्रमाण पत्र (ITR) (3) जी.एस.टी. प्रमाण पत्र (4) पेन कार्ड (05) यदि फर्म है तो पार्टनर शीप डीड प्रमाण पत्र (6) निविदा प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा शेड्यूल बैंक की निर्धारित राशि की साल्वेंसी (12 माह से अधिक पुरानी न हो) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, बैंक साल्वेंसी/बैंक गारंटी की राशि निम्नानुसार होगी :-

01.	रु. 2.00 लाख से अधिक एवं 5.00 लाख के ठेको के लिये	25,000.00
02.	रु. 5.00 लाख से अधिक एवं 25.00 लाख के ठेको के लिये	3,00,000.00
03.	रु. 25.00 लाख से अधिक एवं रु. 50.00 लाख तक	5,00,000.00
04.	रु. 50.00 लाख से अधिक एवं रु. 200.00 लाख तक	12,00,000.00
05.	रु. 200.00 लाख से अधिक तक के ठेको के लिये	25,00,000.00
- (7) टूल्स एण्ड टेकल्स प्रपत्र 2B में शासकीय/अर्धशासकीय विभाग के कार्यपालन अभियंता/समकक्ष अधिकारी अधिकारी से सत्यापित (8) रोड निर्माण हेतु प्लोटर मशीन का स्वामित्व संबंधित बिल/किरायानामा (9) विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प शपथ पत्र (10) प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, (11) कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण का कोड संबंधी प्रमाण पत्र। ये सभी दस्तावेज निविदा के प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग आवेदन में उपरोक्तानुसार समस्त दस्तावेजों की नोटरी से सत्यापित प्रति प्रत्येक आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।

इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां प्रत्येक निविदा समूह हेतु पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने की स्थिति में ही अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त राशि का एफ.डी.आर. संलग्न होने पर ही प्राईस बिड खोली जावेगी।
05. यदि निविदाकार एक से अधिक समूह में निविदाएं प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक निविदा समूह के लिए कण्डिका क्रं. (04) के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक-पृथक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
06. अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में ही स्वीकार की जावेगी।
07. निविदाकार लिफाफा "ए" में अपनी पात्रता संबंधी दस्तावेज की हार्ड कापी प्रस्तुत करेंगे। अमानत राशि का एफ.डी.आर. अलग लिफाफे अर्थात् लिफाफा "बी" में भरकर प्रस्तुत करेंगे। इन दोनों लिफाफों को एक साथ बड़े लिफाफे में भरकर आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव के नाम पर निर्धारित तिथि एवं समय में स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से नगर पालिक निगम बीरगांव में जमा करना होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने की स्थिति में ही अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त राशि का एफ.डी.आर. संलग्न होने पर ही प्राईस बिड खोली जावेगी। अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा। इसके अलावा निविदाकार को अमानत राशि या ऑन लाईन भुगतान/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. रसीद स्कैन कर संदर्भ विवरण, नियम शर्तों के अनुसार पात्रता से संबंधित सभी दस्तावेज अर्थात् टेक्निकल बिड से संबंधित समस्त दस्तावेज स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
08. फिजिकल सबमिशन हेतु प्रस्तुत लिफाफा लाख चापड़ा से सीलबंद होने पर ही स्वीकार की जावेगी।
09. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in व eproc.cgstate.gov.in में उपलब्ध है।

10. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी।
11. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।
12. ठेकेदार अपने दर प्रपत्र 'अ' अनुसार प्रतिशत में भरे एवं प्रपत्र 'बी' अनुसार आईटम रेट अनुसार भरे, एवं अपनी दरें समस्त करें सहित भरना अनिवार्य है।
13. कार्य की लागत / मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
14. ठेकेदार द्वारा 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अधिकार पत्र दिये जाने पर ही उनके प्रतिनिधि को निविदा प्रपत्र दिया जा सकेगा। बिना अधिकार के प्रतिनिधि को निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
15. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के देयक से नियमानुसार कटौती की जावेगी।
16. यदि स्थल पर उपयोग की गई सामग्री,सेम्पल सामग्रियों से निम्न गुणवत्ता का पाया जाता है तो समस्त सामग्री तत्काल स्थल से हटाना होगा। जिसके लिए निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
17. ठेकेदार को दी गई समयावधि में काम पूरा न कर सकने की स्थिति में ठेकेदार के देयक से किये गये कार्य के मूल्य का छः प्रतिशत तक कटौती की जावेगी।
18. यदि आयुक्त/इंजीनियर की राय में कोई भी किया गया काम विकृत/अपूर्ण या कुशल कारीगर के नहीं है या उसमें उपयोग किया गया सामान गुणवत्ताविहीन है, तो लिखित में मांग किये जाने पर वह ठेकेदार उसमें तुरंत सुधार करेगा, उसे हटायेगा या उसकी पूरी तरह या अंशतः जैसी भी परिस्थिति हो पुनः निर्माण करेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा और उसके इस कार्यों को आयुक्त/इंजीनियर जैसी भी परिस्थिति हो द्वारा निर्धारित समयावधि में पूरा करने से इंकार करने पर या गुणावत्ताविहीन समझे गये सामान को और ठेके शर्तों के विपरीत सामान को कार्य स्थल से निर्धारित समय में हटाने और निष्प्रयोजन वस्तुओं या सामग्री के स्थान पर शीघ्र ही योग्य वस्तु या सामान प्रदाय न किये जाने पर आयुक्त/इंजीनियर द्वारा लिखित मांग किये जाने से 10 दिन से अनाधिक समय में अनुपालन ना करने पर प्राक्कलन की राशि पर एक प्रतिशत प्रतिदिवस (निविदा प्रपत्र स (सी) अनुसार) की दर से क्षति का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
19. समयावधि में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकती है तथा पुनः निविदा कर अन्तर की राशि निविदाकार से वसूली की जावेगी।
20. निर्माण में नगर पालिक निगम अधिनियम तथा कार्य विभाग मैनुअल का पालन करना होगा।
21. ईंट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाई एश ब्रिक्स का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
22. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-5/190/18/05 रायपुर दिनांक 19/01/2012 के अनुसार :- "सफल निविदादाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी, जबकि निविदा के दरों में काफी कमी हो, जैसे निविदादाता को अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत के अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉजिट, एन.एस.सी. जो आयुक्त नगर पालिक निगम के नाम से देय होगा, जमा कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न कराने की दिशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।"
23. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय मान्य होगा।
24. प्राक्कलन के अनुसार कार्यस्थल पर सूचना फलक लगाया जावे, जिसमें कार्य के लागत, प्रशासकीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति, क्रियान्वयन एजेंसी, मजदूरी की दर, कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता-दिनांक इत्यादि दर्शाया जावे, साथ ही कार्य स्थल पर निर्माण निरीक्षण पंजी रखी जावे।
25. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश नगर पालिका लेख नियम 1971 के नियम 139 (2) में स्पष्ट प्राक्कलन है कि " ऐसे व्यक्तियों को जो, किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि में पूरा करने में असफल हुए हो ठेका न दिया जावेगा "।

26. कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा निविदा निरस्त करते हुए आगामी निविदा में संबंधित को निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।
27. ठेकेदार को अपने फर्म संबंधी ई-मेल आई.डी. एवं बैंक संबंधी सभी दस्तावेज (आई.एफ.एस.सी कोड/ अकाउन्ट नम्बर/ बैंक का नाम इत्यादी)देना अनिवार्य होगा।
28. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।
29. अन्य नियम व शर्तों से संबंधित जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।


आयुक्त
नमूर पालिक निगम, बीरगांव